



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पॉर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ: Plexh/Cir/266

दिनांक: 01.07.2026

को,

PLEXCONCIL/COA के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: निर्यात सुविधा हेतु लचीलापन एवं रसद हस्तक्षेप (RELIEF) हस्तक्षेप के घटक II के अंतर्गत समयसीमा विस्तार हेतु अधिसूचना संख्या 65/2025-26 में संशोधन

संदर्भ: डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 21/2026-27 दिनांक 29 जून 2026

आपको सूचित किया जाता है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने अधिसूचना संख्या 21/2026-27 दिनांक 29 जून 2026 के माध्यम से निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के अंतर्गत निर्यात सुविधा के लिए लचीलापन और रसद हस्तक्षेप (आरईआईएफ) के घटक द्वितीय के तहत पात्रता अवधि को बढ़ा दिया है।

मुख्य विशेषताएं:

- घटक II के अंतर्गत पात्रता अवधि को डिलीवरी या ट्रांसशिपमेंट के लिए निर्धारित पात्र शिपमेंट के लिए **30 सितंबर 2026** तक बढ़ा दिया गया है।
- दिनांक 19 मार्च 2026 की अधिसूचना संख्या 65/2025-26 के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त बातों पर ध्यान दें और राहत (घटक II) हस्तक्षेप के तहत लाभ उठाने के लिए तदनुसार अपनी शिपमेंट की योजना बनाएं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे मूल अधिसूचना को यहां देखें: https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260701111052.pdf

दिनांक 19.03.2026 की अधिसूचना संख्या 65/2025-26 देखें: https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260320114607.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल